फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री लादू ओड बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 72 / 24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनाक : 15.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये गये। शामिल फाईल रहे। प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपरीकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण को अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुई है। विरासत के नामान्तरण के समय त्रुटिवश प्रार्थीगण का नाम लादु ओड पुत्र स्व श्री किशनलाल के बजाय गुड्डु पुत्र किशनलाल, शम्भु ओड पुत्र स्व श्री किशनलाल के बजाय पिन्टू पुत्र किशनलाल डाली देवी पुत्री स्व श्री किशनलाल के बजाय डाडम पुत्र किशनलाल अंकित कर दिया गया जो कि गलत है जबकि प्रार्थीगणो के वास्तविक नाम समस्त दस्तावेजो के अनुसार लादु ओड पुत्र स्व श्री किशनलाल, डाली देवी पुत्री स्व. श्री किशनलाल, शम्भू पुत्र स्व. श्री किशनलाल दर्ज है जो प्रार्थीगणों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड मे अंकित है। अतः प्रार्थीगणो का नाम संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे बताया कि प्रार्थी लादु ओड पिता किशनलाल, डाली देवी पुत्री किशनलाल एवं शम्भू ओड पुत्र किशनलाल के दस्तावेजों तथा बैंक डायरी, आधार कार्ड आदि में नाम लादु ओड पिता किशनलाल, डाली देवी ओड पुत्री किशनलाल एवं शम्भु ओड पुत्र किशनलाल ही दर्ज हैं। प्रार्थीगण के जमाबंदी रिकार्ड मे राजस्व ग्राम भीण्डर में खाता सं. 1975 में नाम लादु ओड पिता किशनलाल के बजाय गुड्डू पुत्र किशनलाल, डाली देवी ओड पुत्री किशनलाल के बजाय डाडम पुत्र किशनलाल एवं शम्भू ओड पुत्र किशनलाल के बजाय पिन्टू पुत्र किशनलाल जाति ओड दर्ज हो रखा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थीगण के सही नाम दस्तावेजों तथा बैंक डायरी, आधार कार्ड अनुसार ही है तथा इन्ही नामों से ग्राम में जाना एवं पहचाना जाता है किन्तु राजस्व रेकर्ड में बोलते घर के नाम दर्ज किये गए। इन नामों का अन्य दूसरा कोई व्यक्ति न होकर दोनों इन्ही के नाम है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि वर्तमान खाता संख्या 1975 में गुड्डू पुत्र किशनलाल के बजाय लादू ओड पिता किशनलाल, डाडम पुत्र किशनलाल के बजाय डाली देवी ओड पुत्री किशनलाल एवं पिन्टू पुत्र किशनलाल के बजाय शम्भू ओड पुत्र किशनलाल जाति ओड दर्ज किया जाना आपेक्षित बताया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति पेश की। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि प्रार्थीगण का नाम राजस्व ग्राम भीण्डर मे खाता सं. 1975 में नाम लादु ओड पिता किशनलाल के बजाय गुड्डू पुत्र किशनलाल, डाली देवी ओड पुत्री किशनलाल के बजाय डाडम पुत्र किशनलाल एवं शम्भू ओड पुत्र किशनलाल के बजाय पिन्टू पुत्र किशनलाल जाति ओड दर्ज हो रखा है जबकि प्रार्थीगण के सही नाम दस्तावेजों तथा बैंक डायरी, आधार कार्ड अनुसार ही है तथा इन्ही नामों से ग्राम में जाना एवं पहचाना जाता है किन्तु राजस्व रेकर्ड में बोलते घर के नाम दर्ज किये गए। इन नामों का अन्य दूसरा कोई व्यक्ति न होकर दोनो इन्ही के नाम है। अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 1975 में खातेदार के नाम को संशोधित करते हुये गुड्डू पुत्र किशनलाल के बजाय लादू ओड पुत्र किशनलाल, डाडम पुत्र किशनलाल के बजाय डाली देवी ओड पुत्री किशनलाल एवं पिन्टू पुत्र किशनलाल के बजाय शम्भू ओड पुत्र किशनलाल [illegible] ओड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष बदस्तुर रहें। प्रार्थीगणों के हिस्से में किसी [illegible] परिवर्तन नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसला सुनाने [illegible]।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:25:56 IST
Reason: SelfAttested